


कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
2C/52,53,54,55 वृन्दावन योजना  
राय बरेली रोड, लखनऊ



दूरभाष: 0522-2443531

संख्या : 48/12 /स०प्र०-वृन्दावन/  
सेवा में,

दिनांक 6/6/09

आर्मी बेलफेयर हाउसिंग  
आर्गनाइजेशन  
छप्पन चौराहा, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,  
कैन्ट, लखनऊ।

विषय:- परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 6A/GH-3 के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे आपको सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी 16.02.09 में सम्मिलित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 6A/GH-3 हेतु आप द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली रू० 8,164.13 प्रति वर्ग मीटर को संयुक्त आवास आयुक्त(लखनऊ जोन) के पत्र संख्या 1056/ल०जो० दिनांक 20.05.09 द्वारा स्वीकृत की सूचना प्रेषित की गयी है।

अतः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 6A/GH-3 का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| (1) | ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 6A/GH-3 का क्षेत्रफल  | 4975.88 व०मी०      |
| (क) | स्वीकृत उच्चतम बोली   | रू० 8,164.13       |
| (ख) | भूखण्ड का कुल मूल्य एवं फ्री-होल्ड शुल्क सहित   | रू० 4,06,23,732.00 |
| (ग) | टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि   | रू० 40,12,550.00   |
| (घ) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20% धनराशि जो दिनांक 31.08.09 तक देय है(जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है) | रू० 41,12,197.00   |
| (ङ) | प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 30.11.09 तक देय है।  | रू० 40,62,373.00   |
| (च) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 28.02.2010 तक देय है।   | रू० 40,62,373.00   |
| (छ) | प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.05.2010 तक देय है।   | रू० 40,62,373.00   |
| (ज) | स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 18% ब्याज सहित 72 मासिक किश्ते दिनांक 01.06.2010 से देय होगी।  | रू० 2,03,11,866.00 |
| (1) | प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि  | रू० 4,63,314.00    |
| (2) | मासिक किश्तों की संख्या- 72   |                    |
| (3) | मासिक किश्त प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक से देय होगी।   |                    |
| (4) | जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।                        |                    |

कमशः 2 पर